प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 42/20/82/5-जी एस I दिनांक 19 अगस्त, 1982 की प्रति ।

विषय :—तृतीय श्रेणी के पदों कोस्थानान्तरण आधार पर भरने हेतु क्या अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जाना वांछनीय है या कि नहीं, के संबंध में स्थिति का स्पष्ट किया जाना ।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

2. राज्य सरकार के यह प्रश्न विचाराधीन था कि श्रेणी III के पदों पर स्थानान्तरण आधार पर नियुक्ति करने में क्या अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जाना वांछनीय है या कि नहीं । इस बिन्दु पर विस्तृत रूप से परीक्षण किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा अधीन सेवाएं प्रवण मण्डल को सौंपे गये कार्यों के दृष्टिगत कानुनी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये, विधि विभाग की मन्त्रणा भी प्राप्त की गई थी । इस संबंध में निम्नलिखित हिदायतों को ध्यान में रखा जाये ।

(क) श्रेणी III के पद/सेवा से श्रेणी III के ही किसी अन्य पद/सेवा में यदि कोई नियुक्ति एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तण आधार पर की जाए तो ऐसी नियुक्ति पर अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जाना वांछनीय नहीं है, बशर्ते कि :—

(1) जिस विभाग में ऐसी नियुक्ति की जानी हो, उसके सेवा नियमों में उस पद को स्थानान्तरण आधार पर भरने की व्यवस्था हो,

(2) स्थानान्तरण आधार पर नियुक्ति किये जाने वाले कर्मचारी को प्रारंभिक नियुक्ति (initial appointment) अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल/लोक सेवा आयोग, जैसा भी आवश्यक हो, के माध्यम से हुई हो,

(3) स्थानान्तरण आधार पर जिस पद को भरा जाना आवश्यक हो, उस पद की सभी विभागों को परिपत्र द्वारा सरकुलेट (circulate) किया गया हो,

(4) ऐसी सलैक्शन (selection) के लिए किसी भी कर्मचारी का सीधे ही आवेदन पत्र ऐन्टरटेन (entertain) नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि सम्बन्धित कर्मचारी के विभागाध्यक्ष से प्राप्त होने वाली रिकमैन्डेशनज पर ही कार्यवाही की जानी चाहिये, तथा,

(5) केवल उन्हीं कर्मचारियों का चयन किया जाना चाहिये जो कि सम्बन्धित पद की निर्धारित योग्यताएं/अनुभव रखते हों,

(ख) स्थानान्तरण आधार पर, निम्न प्रकार से, की जाने वाली नियुक्तियों/पद एस0 एस0 बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना वांछनीय है :—

(1) यदि किसी कर्मचारी की प्रारंभिक नियुक्ति (initial appointment) अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल/लोक सेवा आयोग, जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से न हुई हो, तथा

(2) यदि कोई नियुक्ति स्थानान्तरण आधार पर श्रेणी 4 के पद/सेवा से श्रेणी III के किसी पद/सेवा में की जाए ।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि स्थानान्तनण आधार पर यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति कर ली जाती है, जिसकी प्रारंभिक नियुक्ति (initial recruitment) अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल के माध्यम से न हुई हो, तो ऐसी नियुक्ति पर यदि सक्षम अधिकार एस0 एस0 एस0 बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त भी कर लेता है, तो इसका यह तात्पर्य नहीं होगा कि उस कर्मचारी की प्रारंभिक नियुक्ति नियमित हो गई है ।

(4) [illegible]